

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

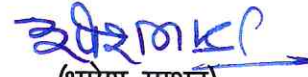
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ4(ई)/ (एन-2885 / 2013) / अलेसे-III / 3077

दिनांक:- 28/03/22

कार्यालय आदेश

श्री नरेन्द्र सिंह, कनि. लेखाकार (लिंग नं. 10684) कार्यालय उप कोषाधिकारी, मसूदा (अजमेर) को दिनांक 04.02.2021 से 18.10.2021 तक तत्कालीन पदस्थापित कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, मसूदा (अजमेर) के साथ-साथ कार्यालय उप कोषाधिकारी, मसूदा (अजमेर) में कनि. लेखाकार के पद का अतिरिक्त कार्य संपादित किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 04.02.2021 से 18.10.2021 तक का राजस्थान सेवा नियमों के नियम-35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 2% दोहरा कार्यभत्ता (अधिकतम 6 माह) नियमानुसार एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ4(ई)/ (एन-2885 / 2013) / अलेसे-III / 3077

दिनांक:- 28/03/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, ब्यावर, (अजमेर)।
2. उप कोषाधिकारी, मसूदा (अजमेर)।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, मसूदा (अजमेर)।
4. निजी सचिव, निदेशक।
5. श्री नरेन्द्र सिंह, कनि. लेखाकार कार्यालय उपकोषाधिकारी, मसूदा (अजमेर)।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।



(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)